



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 4637/2026

हरिओम यादव

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, सिविल सचिवालय लखनऊ
एवं अन्य

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता	: - कृष्ण कुमार सिंह
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना - सांडी, जिला- हरदोई में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 308(2), 351(3), 352, 115(2), 64(2) (पुरानी धाराएं 384, 506, 509, 323, 3761(1) भारतीय दंड संहिता) एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0018/2025 में विचारण के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पीड़िता की माँ ने एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता के साथ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बलात्कार करने का कोई आरोप नहीं है, इसके पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत पीड़िता के बयान में बलात्कार का आरोप जोड़ा गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कथित घटना के लगभग 4 वर्ष बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि कोई चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कराया गया क्योंकि पीड़िता द्वारा इसके लिए सहमति नहीं दी गई थी। उन्होंने दलील दी कि प्रार्थी एक फौजी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूठी कहानी गढ़ने के कारण उसे प्रताड़ित होना पड़ रहा है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रार्थी दिनांक 23.05.2026 से जेल में बंद है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। वे प्रस्तुत करते हैं कि प्रार्थी यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और यह प्रस्तुत किया कि प्रार्थी किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और पत्रावली पर प्रस्तुत की गई सामग्री का परिशीलन करने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रार्थी एक फौजी है और घटना वर्ष 2021 में घटित होना कहा गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2025 में अत्यधिक विलंब से दर्ज कराई गई है। कोई चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कराया गया क्योंकि स्वयं पीड़िता ने इसे कराने से इंकार कर दिया था। यह भी दर्शित होता है कि प्रार्थी दिनांक 23.05.2026 से जेल में बंद है। प्रार्थी ने वचन दिया है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोषों पर कोई विचार व्यक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपरोक्त अपराध में संलिप्त प्रार्थी- **हरिओम यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

(1) प्रार्थी विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डराकर/धमकाकर या किसी अन्य तरीके से अभियोजन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा;

(2) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा;

(3) प्रार्थी (i) विचारण के प्रारंभ होने, (ii) आरोप विरचित होने, और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा; और

(4) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

प्रतिभूगण की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां कठोरतापूर्वक इस जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इसे मामले के गुण-दोष पर किसी प्रकार के प्रभाव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

25 जून, 2026

Muk

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।